TRUST

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक बेल्थरा रोड बलिया क्रम 2018060005327

आवेदन संख्या : 201800975004108

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2018-11-27 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम लल्लन प्रसाद

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 200

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 300

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2018-11-27 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-11-27 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

IV 50

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JU

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EL 044496

Trust Deed—न्यास पत्र

देय स्टाम्प— 1200=00

ट्रस्ट का नाम— : भारती मेमोरियल जन कल्याण ट्रस्ट।

हम कि **श्री लल्लन प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कल्पनाथ सिंह ग्राम—कसौण्डर, पो0—कसौण्डर** परगना—सिकन्दरपुरगर्वी, तहसील—बिल्थरारोड जनपद—बलिया (उ0प्र0) व्यवसाय— समाजसेवा मो0—9415228092 द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक—27.11.2018 को अस्तित्व मे लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा अध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा,शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने मे विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है मैं **श्री लल्लन प्रसाद सिंह** मुख्य संस्थापक ट्रस्टी होगें। जो "**भारती मेमोरियल जन कल्याण ट्रस्ट।**" की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत है।

ट्रस्ट(न्यास)का नाम—	भारती मेमोरियल जन कल्याण ट्रस्ट।
ट्रस्ट का पता—	ग्राम—कसौण्डर, पो0—कसौण्डर तहसील—बेल्थरारोड,जिला—बलिया।(उ0प्र0)
मुख्यालय—पंजीकृत कार्यालय—	भारती मेमोरियल जन कल्याण ट्रस्ट। ग्राम—कसौण्डर, पो0—कसौण्डर तहसील—बेल्थरारोड,जिला—बलिया।(उ0प्र0)

ट्रस्ट का कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

क्र0 174

100 रुपया ता0 22-11-2018 ललन प्रताप सिंह पुत्र स्व0 कल्पनाथ सिंह ग्राम व पो0 कठौड़ा त0 बे0रोड जिला बलिया

अच्छेलाल मौर्य

स्टाम्प विक्रेता ला0नं0-666/15

तहसील बिल्थरा रोड-बलिया

कार्यालय उप निबंधक बिल्थरारोड बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20

Rs.20 TWENTY RUPEES

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 29AA 543647

(20)

गवाह–1

सुभाष चन्द्र खरवार पुत्र रामलाल खरवार
ग्राम–पो0–कसौण्डर
तहसील–बेल्थरारोड, जिला–बलिया।
मो0–9984057752

गवाह–2

धनन्जय कुमार सिंह पुत्र स्व0 अवधबिहारी सिंह
ग्राम–पो0–कसौण्डर
तहसील–बेल्थरारोड, जिला–बलिया।
व्यवसाय–कृषि मो0–9451752174

मसविदा कर्ता–मुन्नीलाल यादव 'वसीकानवीस'
तहसील–बेल्थरारोड, जनपद–बलिया।

टाईपकर्ता–प्रभाकर,

नं0/78

रजिस्ट्री 23/11/2018 शा0नं0 159

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ 15 से 54 तक क्रमांक 50 पर दिनाँक 27/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आदित्य कुमार विश्वकर्मा प्रभारी
उप निबंधक : बेल्थरा रोड
बलिया
27/11/2018

राजकुमार
स्टाम्प विक्रेता ला0नं0

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय उप निबन्धक बेल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 044625

2

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये है।

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	ट्रस्टी पद	पता	व्यवसाय
1	श्री लल्लन प्रसाद सिंह	पुत्र स्व0 कल्पनाथ सिंह	प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी	ग्राम–पो0–कसौण्डर तहसील–बेल्थरारोड,बलिया।	समाजसेवा
2	श्री राजेश कुमार सिंह	पुत्र श्री शिव अधार सिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम– पो0–कसौण्डर तहसील–बेल्थरारोड,बलिया।	"
3.	श्री अविनाश सिंह	पुत्र श्री लल्लन प्रसाद सिंह	कोषाध्यक्ष	ग्राम– पो0–कसौण्डर तह0–बिल्थरारोड,बलिया	व्यवसाय
4.	श्री कामता प्रसाद सिंह यादव	पुत्र श्री गल्लू यादव	सदस्य	ग्राम–पो0–दुबईठा,गाजीपुर	"
5.	श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता	पुत्र श्री बसन्त गुप्ता	सदस्य	ग्राम–पो0–कसौण्डर, तहसील–बिल्थरारोड,बलिया।	समाजसेवा

ट्रस्ट का स्वरूप–

यह ट्रस्ट एक अलाभकारी गैर,सरकारी, गैर राजनीतिक स्वैक्षिक संगठन है जो धर्म,जाति,वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से उपर उठकर जनहित मे कार्य करेगी ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही होगा बल्कि ट्रस्ट सभी प्रकार के लोगो के विकास व लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा।

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

ट्रस्ट का नाम– **भारती मेमोरियल जन कल्याण ट्रस्ट।**

ट्रस्ट का पता– **ग्राम–कसौण्डर, पो0–कसौण्डर**
तहसील–बेल्थरारोड,जिला–बलिया।(उ0प्र0)

क्र० 159

100) स्टाम्प खरीद 23/11/2018 ललन प्रसाद सिंह पुत्र स्व० कल्पनाथ सिंह साo पोo कसौण्डर प० सि० गर्वी

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री लल्लन प्रसाद, पुत्र श्री कल्पनाथ सिंह

निवासी: कसौण्डर परगना सि0गर्वी जिला बलिया

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सुभाष चन्द खरवार, पुत्र श्री रामलाल

निवासी: कसौण्डर परगना सि0गर्वी जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री धनन्जय कुमार सिंह, पुत्र श्री अवध बिहारी सिंह

निवासी: कसौण्डर परगना सि0गर्वी जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आदित्य कुमार विश्वकर्मा प्रभारी

उप निबंधक : बेल्थरा रोड

बलिया

आदित्य कुमार विश्वकर्मा

कनिष्ठ सहायक (निबंधन)

नियमित

कार्यालय उप निबन्धक बेल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (3) EL 044626

ट्रस्ट का मुख्यालय– सा0–कसौण्डर, पो0–कसौण्डर
तहसील–बेल्थरारोड,जिला–बलिया ।(उ0प्र0)

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– छोटे बड़े व्यापारियो के हित में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी व सुविधा प्रदान करना।

व्यापार से सम्बन्धित विभिन्न विभागों के सक्षम अधिकारियों से समय–समय पर मिलना एवं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना। एवं मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय ,संस्कृत महाविद्यालय नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा, शिक्षा मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था कीड़ा क्लब प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान कीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोनेमें प्रकाश फैले इसके लिए सम्भव कार्य करना संस्थाओं की स्थापना करना कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धनमध्यम व सामाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को उचा उठाना लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित

जि0 160

(100) बही सं0 1 जिल्द 23/11/2018 क्र0सं0 159

न्यास पत्र

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 200 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग 300

श्री लल्लन प्रसाद ,
पुत्र श्री कल्पनाथ सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: कसौण्डर परगना सि0गवाँ जिला बलिया

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 27/11/2018 एवं 03:16:16 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आदित्य कुमार विश्वकर्मा प्रभारी
उप निबंधक :बैरिया रोड
बलिया
27/11/2018

आदित्य कुमार विश्वकर्मा
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 044627

करना, विकलांग विद्यालय अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र अध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना नारी उत्थान बालोत्थान कुष्ठरोगी अस्पताल प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना सामाजिक पत्रिका अखबार लाईब्रेरी, कलाकेन्द्र उद्यान साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदा मे जिला राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को कय–विकय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। डी0एड0,बी0टी0सी0, बी0एल0एड0,डी0एल0एड0,बी0एड0 वी0पी0एड0 टेक्निकल कालेज जी0एन0एम0 /ए0एन0एम0/मेडिकल कालेज,पालिटेक्निक कालेज,आई0टी0आई0 इन्जिनियरिंग कालेज,कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0 ई0 विकलांग,मुकबधिर, अन्धे,गुंगेबहरे,असहाय, एवं होम्योपैथिक मेडिकल फार्मेशी कालेज की स्थापना एवं संचालन करना उत्तर प्रदेश सरकार एवं भरत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य मे अन्य जो भी संस्थाये खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं तथा आश्रम अनाथालय वृद्ध आश्रम चिकित्सालय कुंष्ठ आश्रम विद्यालय महाविद्यालय व्यवसायिक तकनीकी प्राविधिक चिकित्सकीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित)

100) विक्रय ... 23/11/2018 ... नं0 161 / नं0 159

स्टाम्प विक्रेता ... लाइ0नं0 08

कार्यालय उप निबंधक बिल्थरारोड बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 044628

करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला रामलीला मेला यज्ञ आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों बुराईयों अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय– साधन से सहयोग करना एवं उनका कियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्ति(पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि बागवानी पशुपालन गृह उद्योग खाद्य प्रसंस्करण नारी उत्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग का उत्थान भ्रष्टाचार निरोध कानून एवं व्यवस्था का विकास स्वैच्छीकरण का विकास औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन सहकारिता उर्जा शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा कृषि शिक्षा इत्यादि संस्कृत शिक्षा वन आवास एवं सहरी नियोजन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी महिला भाषा धमार्थ कार्य लोग निर्माण सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा परिवहन परिवार कल्याण समाज कल्याण पर्यटन खाद्य एवं रसद मनोरंजन बालविकास एवं पुष्टाहार श्रम भूतत्व एवं खनिज कर्म खेल कूद युवा कल्याण खादी एवं ग्रामोद्योग भूमिविकास जल संसाधन परती भूमि विकास उद्यान पर्यावरण लघु उद्योग हथकरघा वस्त्र उद्योग दुग्ध विकास ग्राम्य विकास संस्कृति मत्स्य विकलांग कल्याण पंचायतीराज आबकारी ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन नागरिक

न० 162

100) रूपये क्रय दिनांक 23/11/2018 ठल्लन प्रसाद सिंह पुत्र स्व०-कल्पनाथ सिंह सा० पो० कसौंडर पो० सि० गवे० त० बैर जि० बलिया

राजकुमार
राजकुमार
स्टाम्प विक्रेता ला०न०6

Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय उप निबंधक बिथरारोड बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 902460

नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थाये नियोजन निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैकिंग, भाषा, मुद्रण, एवं लेखन भूमि विकास एवं जल संसाधन राष्ट्रीय एकीकरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सतर्कता समन्वय सार्वजनिकउद्यम सूचना एवं जन सम्पर्क अल्पसंख्यक कल्याण कृषि विपणन निर्यात प्रोत्साहन पुरातत्वि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्राणी उद्यान एड्स नियंत्रण गंगा यमुना आदि स्वच्छीकरण आपदा राहत पेयजल एवं स्वच्छता सहकारी समितिया साक्षरता एवं बैकल्पिक शिक्षा सैनिक कल्याण संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा स्थानीय निकाय यूनानी चिकित्सा प्रशासन एवं प्रबनधन संस्थाये न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान रिमोट सेसिंग ललित कला चित्रकला बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आंतरिक लेखा परीक्षा संगीत नाटक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उपभोक्ता हेतु संरक्षण भूमि सुधार भण्डारण विचार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाये आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा–13(1) तथा धारा–11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

नं० 163

50) पचास रुपये 23/11/2018 ग्रा०नं० 59

राजकुमार

राजकुमार।
स्टाम्प विक्रेता ला०नं० 06 38 /

कार्यालय उप निबंधक
बिल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 902461

हिन्दी संस्कृत उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल इण्टर कालेज डिग्री कालेज शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय विधि महाविद्यालय प्राविधिक तकनीकी चिकित्सा व्यवसायिक औद्योगिक संस्थनों/केन्द्रो आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढानेके लिए 12 ए 80 जी 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित मे संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीडित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1991 की संसुगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

<u>ट्रस्ट एव मुख्यट्रस्टी का कार्यकाल–</u> ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी के बंशावली मे से श्री अविनाश सिंह पुत्र श्री लल्लन प्रसाद सिह ग्राम–पो0–कसौण्डर तहसील–बिल्थरारोड जिला–बलिया होगें।

50) पचास रुपये 23/11/2018 शा०नं० 159
नं० 0164

राजकुमार
राजकु...
विक्रेता ...

कार्यालय उप निबंधक
बिल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 877604

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता– **भारती मेमोरियल जन कल्याण ट्रस्ट** पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 05 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से 11,000 रूपये (ग्यारह हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थाई सदस्य बनाया जा सकता है। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के बंशावली पर लागू नही होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बन सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें एवं इसके अतिरिक्त रूपया 5100.00 (रू0 पांच हजार एक सौ) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

न०/65

50) पचास रुपये 23/11/2018 क्र०सं० 159

राजकुमार

राजकुमार
स्टाम्प विक्रेता ला०नं०

कार्यालय उप निबंधक
बिल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 877605

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट(न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होगा।
3. संस्था के साधारण सभा एवं पबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर भी मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट(न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) वाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट एवं न्यास के विकास के विभिन्न संसाधन इकठ्ठा करना व ट्रस्ट(न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

नं0/66

50) पचास रुपये 23/11/2018 प्रा0नं0/59

राजकुमार

राजकुमार
स्टाम्प विक्रेता

कार्यालय उप कोषाधिकारी बेल्थरारोड, बलिया

16/10/2018

कार्यालय उप निबन्धक बिल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 877613

8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि–भवन का क्रय विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।

9. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संचालित किसी संस्था की चल अचल सम्पतियों को ट्रस्ट के उददेश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है। या चल अचल सम्पत्ति को दान दे सकता है।

10. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता हैं एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग चन्दा आम जनता किसी भी व्यक्ति फर्म एसोसिएशन किसी अन्य न्यास या कारपारेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही पदोन्नति निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास है।

12. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा।

13. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट(न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता हैं।

14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट के सदस्य पद से वर्खास्त करना।

म0 179

पचायतकचहरी 23/11/2018 शा0नं0 159

राजकुमार
स्टाम्प विक्रेता ला0नं06
16/11/2018

कार्यालय उप निबन्धक बिल्थरारोड-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 902462

15. ट्रस्ट(न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं कार्यकमों किया कलापों मे निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिव्यूनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16. ट्रस्ट द्धारा संचालित विभिन्न संस्थाओं कार्यक्रम किया कलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

17. मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक की अचानक मृत्यु के बाद उसके वारिसो मे से प्रथम पुत्र ही मुख्य ट्रस्टी का स्थान ग्रहण करेगा तथा विशेष परिस्थिति में मुख्य /संस्थापक अपने जीवन काल मे ही अपने स्थान पर मुख्य ट्रस्टी वसीयत द्धारा भी नियुक्त कर सकता है जो उसके बंशावली का ही होगा।

<u>महासचिव/मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्धितीय के अधिकार व कर्तव्य–</u>

1. मंत्री मुख्य संस्थापक ट्रस्टी से अनुमति लेकर कार्य सम्पादन अपने हस्ताक्षर से करा सकेगा। तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
3. ट्रस्ट(न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना।
4. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से जारी करना।
5. ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही पदोन्नति निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्धारा की जा सकती है।

न०/68

50) पचास रुपये 23/11/2018 शा०न०-159

राजकुमार

राजकुमार
स्टाम्प विक्रेता ला० 10839

कार्यालय उप निबन्धक
बिल्थरारोड-बलिया